रजिस्ट्री सं० डी० -33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II —खण्ड 3 —उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 177] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 1, 2012/माघ 12, 1933
No.177] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 1, 2012/MAGHA 12, 1933

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मुख्य योजना अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2012

विषय : दिल्ली मुख्य योजना 2021 के अस्तित्व में आने से वर्ष 2010-11 के लिए, होटलों सहित बढ़े हुए तल क्षेत्रफल अनुपात (एफ.ए.आर.) हेतु उपयोग परिवर्तन, मिश्रित भूमि उपयोग प्रभारों अन्य प्रभारों के लिए लागू की जाने वाली दरों का निर्धारण ।

का.आ. 202(अ).—दिल्ली मुख्य योजना-2021 के अस्तित्व में आने से होटलों सहित बढ़े हुए एफ.ए.आर. हेतु उपयोग परिवर्तन, मिश्रित भूमि उपयोग और अन्य प्रभारों के लिए लागू की जाने वाली दरें वर्ष 2007-08 के लिए सं. का.आ. 2955(अ), दिनांक 23-12-2008 द्वारा अधिसूचित की गई थीं और सं. का.आ. 544(अ), दिनांक 25-2-2009 एवं सं. का.आ. 567(अ), दिनांक 27-2-2009 द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं के माध्यम से इन्हें संशोधित किया गया था तथा अधिसूचना सं. का.आ. 2906(अ), दिनांक 17-11-2009 एवं सं. का.आ. 1257(अ), दिनांक 31-5-2010 के तहत क्रमश: इन्हें वर्ष 2008-09 और 2009-10 के लिए बढ़ा दिया गया था । अब, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा इन दरों को वर्ष 2010-11 के लिए भी बढ़ा दिया है ।

दिनांक : 1-2-2012
नई दिल्ली [सं. एफ. 20(4)/2005/एम पी/पार्ट-II/पार्ट]

डी. सरकार, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(Master Plan Section)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2012

Sub : Fixation of rates to be applied for use conversion, mixed land use charges and other charges for enhanced FAR including hotels arising out of MPD-2021 for the year 2010-11.

S.O. 202(E).—The rates to be applied for use conversion, mixed land use and other charges for enhanced FAR including for hotels arising out of MPD-2021 were notified for the year 2007-2008 *vide* No. S.O. 2955(E), dated 23-12-2008 and modified through notifications issued *vide* No. S.O. 544(E), dated 25-2-2009 and No. S.O. 567(E), dated 27-2-2009 and extended for the year 2008-2009 and 2009-2010 vide Notification No. S.O. 2906(E), dated 17-11-2009 and No. S.O. 1257(E) dated 31-5-2010 respectively. Now Delhi Development Authority in exercise of the powers conferred by Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) with the previous approval of the Central Government hereby further extends these rates for the year 2010-2011 also.

Dated : 1-2-2012 [No. F. 20(4)/2005/MP/Pt.II/Part]
New Delhi D. SARKAR, Commr.-cum.-Secy.

323 GI/2012

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.